

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय—आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक क्रमांकः— शिविरा—मा / सी—२/स्थानान्तरण/इतिहास / 2019—20 / दिनांकः—29.09.2019 के तहत श्रीमती आशा जैन व्याख्याता इतिहास का स्थानान्तरण राबाउमावि, श्रीपुरा, कोटा से राउमावि, लेसरदा, बून्दी किया गया। आशा जैन ने अपने स्थानान्तरण के विरुद्ध माननीय राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3823/2019 आशा जैन बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की।

माननीय अधिकरण के निर्णय/आदेश दिनांक 05.12.2019 द्वारा अपीलार्थी को अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्थी विभाग राज्य सरकार व विभाग के दिशा—निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में एक आख्यात्मक आदेश प्रसारित कर अपीलार्थी को सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी आशा जैन ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं राष्ट्रीय एवं राज्य—स्तरीय पुरस्कृत शिक्षक होने, कमर की हड्डी में फेकचर होने के आधार पर राबाउमावि, श्रीपुरा कोटा में यथावत रखने अथवा डाइट कोटा में व्याख्याता के रिक्त पद पर पदस्थापन रखने की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

यह विधि सुन्धापित सिद्धान्त है कि लोकसेवकों द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन/स्थानान्तरण की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती, अपितु उपलब्ध मानव संसाधन का प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार उपयोग करना नियोक्ता के विवेकाधीन है। अपलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। उपर्युक्त परिस्थितियों को मददेनजर रखते हुए किए गए स्थानान्तरण आदेश में राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा—निर्देशों दिनांक 24.09.2019 एवं सेवा नियमों का उल्लंघन नहीं पाया गया। उक्त आधार पर अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन में प्रस्तुत यथावत/वांछित स्थान पर पदस्थापन हेतु की गई मांग नियमानुकूल/तर्कसंगत नहीं होने के कारण खारिज योग्य पाये जाने के आधार पर एतद्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

सभी संबंधित पक्षकार सूचित हों।

*(Himanshu Gupta)*  
आई.ए.एस.  
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

दिनांक: 27/01/2020

क्रमांक: शिविरा/माध्य/सी—२/अभ्यावेदन/आशा जैन/को.को/20—21

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक रक्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय),
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
5. जि.शि.अ. (माध्य—विधि) जयपुर
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय अनुभाग को किंगारीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्रधानाधार्य
9. संबंधित कार्मिक
10. गार्ड पंजिका।

*(Anil Singh)*  
संयुक्त—निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर